हरियाणा राज्य बनाम जस्पाल सिंह @काला

129

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

जी. एस. संधवालिया और लपिता बनर्जी से पहले, जे. जे.

हरियाणा राज्य-अपीलार्थी

बनाम

जस्पाल सिंह @काला उत्तरदाता 2022 का एम. आर. सी. नंबर 6

1 जनवरी, 2024

यह अभिनिर्धारित किया गया कि, जैसा कि देखा गया है, अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से समाज के हाशिए के हिस्से से संबंधित है और श्रम कार्य कर रहा था और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी और वह उन बच्चों में से एक को नहीं ला सका, जिसे उसके भाई को गोद देने के लिए भी दिया गया है, यह भी दिखाया जाएगा कि यह पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण बच्चे का पालन-पोषण करने में सक्षम नहीं होने के उद्देश्य से हो सकता है, जो केवल उस दृष्टिकोण को प्रमाणित करता है जिसे हम दूसरी आकस्मिकता के साथ सजा को प्रतिस्थापित करने के लिए लेने जा रहे हैं। (पैरा 19) ने आगे कहा कि उपरोक्त अधिकारियों में निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता, जो उस समय 53 वर्ष का था जब उसके खिलाफ आई. डी. 1 पर आरोप तय किया गया था, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दूसरे विकल्प के तहत प्रदान की गई सजा का हकदार होगा, जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास तक बढ़ेगा कि इस तरह का अपराध 130 द्वारा किया गया था।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

प्राकृतिक संरक्षक अर्थात स्वयं पिता घर की सीमा के भीतर रहते हैं। (पैरा 23)

पवन गिरधर, एडिशनल। ए. जी, हरियाणा। अपीलार्थी के लिए (सी. आर. ए.-डी.-159-2023 में) प्रतिवादी की ओर से (एम. आर. सी.-6-2022 में) अधिवक्ता अंजू शर्मा।

(1) वर्तमान निर्णय एकमात्र अपीलार्थी द्वारा दायर आपराधिक अपील और उस संदर्भ का निपटारा करेगा जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय), सिरसा द्वारा दोषी को दी गई मौत की सजा को ध्यान में रखते हुए धारा 28 (2) और धारा 366 Cr.P.C के तहत दी गई है। आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एन), 376 (एफ), 376एबी, 506 और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम, 2012 (संक्षेप में) की धारा 6 के तहत दर्ज की गई एफ. आई. आर. पॉक्सो अधिनियम '), पी. एस. महिला सिरसा। दिनांक 2 के विवादित फैसले के माध्यम से, विशेष अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है, जो पीड़ित का पिता है, जो घटना की तारीख 3 सितंबर, 2020 की दरम्यानी रात को लगभग 12 साल का था, जिसका जन्म 1 सितंबर को हुआ था और इसलिए, अपीलार्थी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत और आईपीसी की धारा 506 के तहत भी दोषी ठहराया। (2) मामले को अगले दिन सजा की मात्रा पर रखा गया और विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नाबालिग लड़की का उल्लंघन करने वाला स्वयं अभिभावक था और इसलिए कोई उदार रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए और घटना घर के भीतर हुई थी, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी और आईपीसी की धारा 506 के तहत लगाए गए जुर्माने के अलावा 7 साल के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे धारा 357 के तहत मुआवजे के रूप में पीड़ित को वितरित किया जाना था। धारा 357ए Cr.P.C के तहत जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, सिरसा को पीड़ित को रुपये 5,00,000 का मुआवजा देने के लिए दिया गया। (3) दोषसिद्धि और मृत्युदंड के चरम आदेश को पारित करने के लिए जो तर्क प्रबल था, वह यह था कि बढ़े हुए भेदक यौन हमले का तथ्य पीडब्लू-1-पीड़ित, पीडब्लू-7-मां गुरमीत कौर, पीडब्लू-5 सुखदीप कौर, पड़ोसी के बयानों से साबित हुआ था। इस प्रकार, अपीलार्थी को हरियाणा बनाम जस्पल सिंह @काला के उग्र राज्य को अंजाम देने का दोषी ठहराया गया।

131

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

बीच की रात को उसके अपने घर में खाट पर भेदक यौन हमला/बलात्कार और भौतिक गवाहों ने लंबी प्रतिपरीक्षा का सामना किया और उनके बयान सभी चरणों में अडिग और सुसंगत रहे। पीड़ित और गवाहों की जाँच के रूप में चिकित्सा साक्ष्य और उसके द्वारा दिए गए बयान और यह तथ्य कि पजामी पर खून के धब्बे मौजूद थे और खून बहने के साथ एक छोटा सा आँसू मौजूद था, वे आधार थे जिन्हें निचली अदालत ने ध्यान में रखा। डी. एन. ए. रिपोर्ट ने भी उक्त आरोप का समर्थन करते हुए कहा कि बेडशीट (उदा. 3) पर मानव वीर्य का पता चला है और आरोपी के रक्त के नमूने से डी. एन. ए. प्रोफाइल के साथ मिलान करना पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तर्क दिया गया था और अपीलार्थी इस धारणा का खंडन करने में विफल रहा था। यह भी देखा गया कि इस तरह का कोई बचाव साक्ष्य नहीं दिया गया था और न ही मुख्य गवाहों, पीड़ित, मां, पड़ोसी और जांच अधिकारी के सामने कोई प्रशंसनीय बचाव किया गया था। नगर परिषद, सिरसा की ओर से उपस्थित होने वाले संबंधित गवाह द्वारा जन्म प्रमाण पत्र का तथ्य साबित किया गया था और जो स्कूल के रिकॉर्ड के साथ मेल खाता था, यह दिखाने के लिए कि उसकी उम्र 12 वर्ष थी, जिसका जन्म आईडी 2 पर हुआ था और इसलिए, वह पॉक्सो अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत एक बच्ची थी और उसका बयान धारा 164 (आईडी 1) के तहत दर्ज किया गया था। (4) अभिलिखित दोषसिद्धि को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि कानून के निम्नलिखित दो प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होंगेः -

((i)। क्या दोषसिद्धि कायम रहने योग्य है? ((ख)। क्या इस तरह की मौत की सजा की पुष्टि की जा सकती है?

(5) हमारी सुविचारित राय में, पहले मुद्दे के संबंध में, अपीलार्थी के वकील हमें इस तथ्य के बारे में समझाने में सक्षम नहीं हुए हैं कि अपराध नहीं किया गया है और जिन छोटी विसंगतियों को उजागर करने की मांग की गई है, जो बिना किसी आधार के हैं। अभियोजन पक्ष ने आरोप को संदेह की छाया से परे साबित कर दिया है और ऐसी कोई अत्यधिक देरी नहीं है जो यह दर्शाती है कि अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाया गया था, जो इस तरह का मामला है कि माँ का पूर्व सरपंच के साथ अतिरिक्त वैवाहिक संबंध था और यह कि विचाराधीन बच्चे का किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध था जिस पर आपत्ति की गई थी।

132

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(6) घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि पीडब्लू-14-सुनीता रानी, जांच अधिकारी को जानकारी मिली कि बच्चे के खिलाफ अपराध किया गया है और उसे मौके पर आगे बढ़ने के लिए कहा गया था और वह पड़ोसी सुखदीप कौर के साथ बस स्टैंड, भंगू में पीड़िता और उसकी मां से मिली थी। कानूनी सहायता वकील को तदनुसार मौके पर आने के लिए कहा गया था, जो मौके पर पहुंचे थे, पीड़िता ने अपना बयान दर्ज कराया था जो उसे पढ़ा गया था और पीड़िता ने हिंदी में हस्ताक्षर किए थे और उसकी मां ने 28.09.2020 (Ex.P-13) पर दाहिने अंगूठे का निशान लगाया था। आई. पी. सी. की धारा 376,376 (2) (एफ) (एन), 376ए. बी. और 506 के तहत अपराध और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत जानकारी सामने आने के बाद शाम 4.5 बजे प्राथमिकी में मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन को सूचना भेजी गई। बयान (Ex.P-1) के अवलोकन से पता चलता है कि विशिष्ट कथन किए गए थे कि 26/27.09.2020 की उक्त रात को, पिता ने माँ को उसके साथ झगड़ा करने के बाद घर से बाहर निकाल दिया था और नाबालिग को उस खाट से उठाया गया था जिस पर उसे ले जाया गया था। वह अपने भाई के साथ सो रही थी और दो मौकों पर अपने निचले कपड़े उतारने के बाद एक और खाट पर लेट गई और धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे मार दिया जाएगा। सुबह घर से बाहर जाने के बाद और पेट में तेज दर्द होने के कारण पिता ने एक दिन बाद अपनी माँ को घटना के बारे में बताया था और जो उसे सरपंच के पास ले गए थे, जिन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया था। बयान पर कानूनी सहायता वकील द्वारा भी विधिवत हस्ताक्षर किए जाते हैं, हालांकि गवाह के रूप में इसकी जांच नहीं की जाती है। बयान में यह भी उल्लेख है कि घर में शराब के नशे में झगड़ा होता था। तदनुसार एफ़. आई. आर. <आई. डी. 2] को शाम 6.38 बजे दर्ज की गई और पुलिस ने उक्त दिन ही (Ex.P-22) चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, सिरसा द्वारा चिकित्सा का संचालन करने का अनुरोध किया। (7) एमएलआर दिनांक 28.09.2020 (Ex.P-6), जो माँ की उपस्थिति में किया गया था, ने पजामी पर एक आँसू की उपस्थिति और निर्वहन और रक्त के दाग को इस तथ्य के अलावा दिखाया कि योनि की दीवार पर 6 बजे एक आँसू भी मौजूद था और रक्तस्राव हो रहा था। पिता द्वारा हमले के तथ्य का भी उल्लेख किया गया है और चिकित्सा अधिकारी पीडब्लू-4 डॉ. मनीषा को बताया गया है जिसे शामिल किया गया है जो उसकी जांच करके विधिवत साबित हुआ था और उसने सकारात्मक रूप से अपना हलफनामा प्रस्तुत किया था जिसे परीक्षा-इन-चीफ के हिस्से के रूप में पढ़ा जाना है। जिरह में, एकमात्र कमजोरी जो वे इंगित कर सकते थे, वह यह थी कि पीड़ित ने 4-5 साल पहले भी अपने पिता द्वारा किए गए हमले के बारे में 2-3 बार गवाही दी थी। पीड़ित को स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम जस्पल सिंह @काला पर धारा 164 Cr.PC के तहत उसका बयान दर्ज कराने के लिए भी ले जाया गया था।

133

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

29.09.2020. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरसा के समक्ष, जिसमें उन्होंने उस कथन को दोहराया था जो उन्होंने पहले ही पुलिस को दे दिया था, जिसमें एक ऊपरी कमरे और मां को ईंट से मारे जाने का उल्लेख है। मजिस्ट्रेट ने यह भी देखा था कि एक बच्ची होने के नाते वह 'बलात्कार' और 'हमले' के शब्दों के बारे में निर्दिष्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्हें अपनी भाषा में परिभाषित किया था। अपीलार्थी की गिरफ्तारी उसी दिन (Ex.P-16) जांच अधिकारी सुनीता रानी पीडब्लू-14 द्वारा सदस्य, पंचायत द्वारा पेश किए जा रहे बस स्टैंड से की गई थी और उसके बाद घटना स्थल पर ले जाया गया था, जहां सीमांकन किया गया था और उसके बाद चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल के अधिकारियों के सामने पेश किया गया था। उक्त जांच अधिकारी ने पहले भी साइट (Ex.MO/7) से कब्जे के ज्ञापन (Ex.P-11) के माध्यम से ली गई 28.09.2020 पर बिस्तर की चादर बरामद की थी, जिसके लिए डीएनए रिपोर्ट भी आई है (Ex.P-30) जिसमें बिस्तर की चादर के एलेलिक पैटर्न का तथ्य आरोपी के लिए गए रक्त के नमूने से मेल खाता है। (8) सुनीता रानी पीडब्लू-14 नामक प्रथम जाँच अधिकारी के नाम ने नगर परिषद, सिरसा से जन्म प्रमाण पत्र (Ex.P-8) और जन्म रजिस्टर (Ex.P-10) की प्रति एकत्र की थी जिसे क्लर्क संदीप कुमार पीडब्लू-6 द्वारा साबित किया गया था। इस प्रकार, जन्म तिथि 18.08.2008 साबित हुई है और जन्म प्रमाण पत्र में अपीलार्थी का नाम अर्थात जसपाल सिंह का उल्लेख है, जो पीड़ित का पिता है और माँ का नाम गुरमीत कौर है जो 26.08.2008 पर पंजीकृत था, जो जन्म तिथि के 8 दिन बाद है। जन्म तिथि का स्कूल रजिस्टर में की गई प्रविष्टि से भी सह-संबंध है, जिसे आगे सरकारी बालिका प्राथमिक विद्यालय, भंगू के प्रधान शिक्षक पीडब्लू-17 बिहारी लाल की जांच करके साबित किया गया, जिनसे जन्म प्रमाण पत्र (Ex.P-32) भी साबित किया गया था और प्रवेश पत्र Ex.P-33, इस प्रकार, पीड़ित के नाबालिग होने की परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करता है। वही यह भी दर्शाता है कि घटना से सात साल पहले स्कूल में 24.03.2013 पर प्रवेश किया गया था और माता-पिता का नाम भी मेल खाता है और चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा साक्ष्य की विधिवत पुष्टि की गई है और यह तथ्य कि लड़की की जल्द से जल्द जांच की गई थी, यह दर्शाता है कि उल्लंघन हुआ था और किसी भी देरी के अभाव में। (9) गवाह के बयान की उत्कृष्ट गुणवत्ता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, जिसके पास कम उम्र में अपने पिता के खिलाफ गवाही देने का कठिन कार्य था। पीड़ित, प्रारंभिक चरण में, धारा 164 Cr.P.C के तहत बयान के अनुसार 29.09.2020 पर मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाही देता है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(10) अपीलार्थी, इस प्रकार, किसी भी बचाव की रेखा को सामने रखने में सक्षम नहीं हुआ है जो धारा 313 Cr.P.C के तहत बयान से स्पष्ट था. जिसमें केवल एक ही याचिका ली गई है कि उसे वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था और पुलिस ने उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया था और मुद्रित प्रदर्शन पर कुछ खाली कागजों पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए थे जिसे प्रकटीकरण बयान और सीमांकन ज्ञापन में परिवर्तित कर दिया गया था। ऐसा कोई बचाव भी नहीं किया गया कि उसकी पत्नी का पूर्व सरपंच के साथ संबंध था, जिसके कारण उसे झूठा फंसाया गया है, जिस पर अब तर्क दिया जाना चाहिए। पड़ोसी सुखदीप कौर पीडब्लू-5 ने भी इस तथ्य के बारे में गवाही दी है कि उसके माँ के साथ पिछले 15 वर्षों से अच्छे संबंध थे और उसने इस घटना के बारे में सरपंच को टेलीफोन पर सूचित किया था और इस सुझाव से इनकार किया था कि उसकी आरोपी के साथ कोई व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता थी या उसने झूठा बयान दिया था। इसी तरह की बात मां गुरमीत कौर पीडब्लू-7 का बयान है कि सरपंचा जसबिर सिंह ने पुलिस अधिकारियों को फोन किया था और उसे कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि उसका उक्त पूर्व सरपंचा के साथ संबंध था, जिसकी मदद उसने मांगी है। उसने विधिवत समझाया है कि मौजूदा सरपंच मंगा सिंह उसकी बात नहीं सुन रही थी और वह कभी उसके पास नहीं गई थी और पूर्व-सरपंच के घर गई थी। उसने यह भी कहा है कि उसकी सास ने उसका समर्थन किया था, जिसने कहा था कि अगर आरोपी ने गलत काम किया है, तो उसे परिणाम भुगतने होंगे और यह भी कहा कि सास भी उसके साथ पुलिस स्टेशन गई थी। उसने इस तथ्य से इनकार किया कि पीड़ित के किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई अवैध संबंध थे और वह इसे छिपाने के लिए झूठी गवाही दे रही थी। (11) अपीलार्थी के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि इस बात में विरोधाभास है कि पीड़ित का बयान जो पहले 28.09.2020 (Ex.P-1) पर दर्ज किया गया था और अगली तारीख को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 Cr.P.C के तहत दिया गया बयान. 29.09.2020 (Ex.P-3) और मां पीडब्लू-7 गुरमीत कौर का बयान कि मां को सुबह 4 बजे पीटा गया था और सुबह 6 बजे घर लौटाया गया था, कोई परिणाम नहीं है। यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि सबसे पहले उस बच्चे का उल्लंघन किया गया है जो मुश्किल से 12 वर्ष का है और उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जो एक नाबालिग बच्चे के लिए अनुचित होगी और जो स्पष्ट रूप से हरियाणा के एक गरीब राज्य से संबंधित है।

135

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

11.ए. यह तय किया गया सिद्धांत है कि ऐसी छोटी विसंगतियां जिन्हें उजागर करने की मांग की जाती है, वे अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त नहीं कर सकती हैं, जिसने पीड़ित के बयान को चिकित्सा रिकॉर्ड के साथ जोड़कर बिना किसी संदेह के आरोप साबित कर दिया है, जिसे विधिवत साबित किया गया है। यह तर्क कि डी. एन. ए. परीक्षण बेडशीट से लिए गए नमूने का था जो उक्त घर में था, इस प्रकार, भले ही इस आधार पर नजरअंदाज किया जाए कि अपीलकर्ता शादीशुदा था और पत्नी घर पर मौजूद थी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नाबालिग के निचले कपड़ों (पजामी) पर खून के धब्बे पाए गए थे जो फटे हुए थे और एक दिन के बाद उसकी चिकित्सा जांच में रक्तस्राव पाया गया था, ऐसा तर्क नहीं है। उसने रजोनिवृत्ति (मेन्सरशन की पहली घटना) भी प्राप्त नहीं की थी और शारीरिक रूप से भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी और उसका स्तन विकास टैनर स्टेजिंग के चरण 3 पर था और इसलिए, यह तर्क कि वह किसी और के साथ स्वतंत्र संबंध रख रही थी, स्वीकार करने योग्य नहीं है। केवल इसलिए कि सुधार हुआ है कि 4-5 साल पहले भी उस पर हमला किया गया था, अपीलार्थी के मामले में किसी भी तरह से सुधार नहीं होगा। (12) नतीजतन, हमारी यह सुविचारित राय है कि जो निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं, वे इस आधार पर हैं क्योंकि अभियोजन पक्ष ने दोषसिद्धि के संबंध में अपना मामला साबित कर दिया है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी अपने झूठे निहितार्थ के संबंध में एक भी व्यक्ति को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए नहीं ला सका है, क्योंकि न तो उसका भाई जिसने अपीलार्थी के एक बच्चे को गोद लिया था, न ही उसकी माँ आगे आई है, किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। इसलिए, 136 को ध्यान में रखते हुए दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

वाक्य की मात्रा (13) दूसरा सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या मौत की सजा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कायम रहने के लिए उत्तरदायी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह का कृत्य भयानक है और केवल इस तथ्य के कारण कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती है कि आरोपी के दो और बच्चे हैं, जिनमें से एक को उसके भाई को गोद में दिया गया था। पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 गंभीर भेदक यौन हमले को परिभाषित करती है जबकि उपखंड (एन) में प्रावधान है कि जो कोई भी रक्त के माध्यम से एक बच्चे का रिश्तेदार है और जो एक ही या साझा घर में रह रहा है, वह ऐसे बच्चे पर भेदक यौन हमले करता है। धारा 5 (एन) इस प्रकार हैः -

“5. उग्र भेदक यौन हमला। - (a) से (m) XXX XXX

(एन) जो कोई भी रक्त या गोद लेने या विवाह या संरक्षकता या पालक देखभाल में या बच्चे के माता-पिता के साथ घरेलू संबंध रखने वाला या जो बच्चे के साथ एक ही या साझा घर में रह रहा है, वह ऐसे बच्चे पर भेदक यौन हमला करता है; या "(14) पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि गंभीर भेदक यौन हमले के लिए सजा जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 2 (एम) के तहत परिभाषित की गई है, 20 साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। उक्त धारा आगे परिभाषित करती है कि आजीवन कारावास का अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास है और तीसरी आकस्मिकता यह है कि सजा मौत की हो सकती है। जुर्माने का भुगतान करने का दायित्व भी प्रदान किया गया है जो उप-धारा (2) के तहत न्यायसंगत और उचित है और पीड़ित को चिकित्सा खर्चों को पूरा करने और पीड़ित के पुनर्वास के लिए भुगतान किया जाना है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 इस प्रकार हैः -

हमला। - (1) जो कोई भी गंभीर भेदक यौन हमला करता है, उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी जो बीस साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और जुर्माने या मृत्यु के लिए भी उत्तरदायी होगा। (2) उप-धारा (1) के तहत लगाया गया जुर्माना न्यायसंगत और उचित होगा और पीड़ित को हरियाणा बनाम जस्पल सिंह @काला के चिकित्सा राज्य को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

137

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

ऐसे पीड़ित का खर्च और पुनर्वास। ]”

(15) यह विवादित नहीं है कि 'दुर्लभतम मामलों में दुर्लभतम' का सिद्धांत तब लागू किया जाना है जब मौत की सजा दी जानी है, जिसे बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1 मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित किया गया था, जहां आई. पी. सी. की धारा 305 के तहत मौत की सजा प्रदान करने की संवैधानिक वैधता विचार का विषय थी। अपीलार्थी की मौत की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई तीन हत्याओं और इस तथ्य के कारण की गई थी कि वह पहले से ही हत्या के लिए दोषी ठहराया जा चुका था और वह पहले के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट चुका था। नतीजतन, इस तरह की चुनौती को धारा 354 (3) Cr.P.C की संवैधानिकता से भी दूर कर दिया गया। बिगड़ती परिस्थितियों के तथ्य और कम करने वाली परिस्थितियों पर विधिवत चर्चा की गई।

(16) माछी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 2 में, ए

तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे की जांच की कि अगर समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा हैरान हो जाती है, और हत्या बेहद क्रूर, विचित्र, शैतानी और विद्रोही है और नृशंस तरीके से की जाती है, तो 'दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों' का सिद्धांत आकर्षित होगा। न्यायालय एक रात में 5 अलग-अलग गाँवों में 5 घटनाओं की श्रृंखला में 17 लोगों की मौत पर विचार कर रहा था और परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की जांच करते हुए कुछ अपीलार्थियों की मौत की सजा को भी बरकरार रखा। (17) स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य 3 में तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ, शीर्ष न्यायालय निचली अदालत के उस संदर्भ पर विचार कर रहा था जिसमें अपीलार्थी को मौत की सजा सुनाई गई थी। निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को यह देखते हुए प्रतिस्थापित किया कि पहले के अवसर पर, मामले की सुनवाई करने वाले दो न्यायाधीशों ने मृत्युदंड पर मतभेद किया था जो लगाया गया था और परिणामस्वरूप निर्देश दिया गया था कि कारावास आजीवन होगा और दोषी को उसके शेष जीवन के लिए जेल से रिहा नहीं किया जाना था।

(18) मोहम्मद में। मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम स्टेट ऑफ

3 2008 (13) एस. सी. सी. 767 4 2019 (16) एससीसी 584 138

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

जिस वीभत्स तरीके से यह किया गया था, उसे एकमात्र मानदंड नहीं माना गया था। अदालत को मौत की सजा सुनाते समय उसकी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की आपराधिक स्थिति को भी ध्यान में रखना था जो एक अपवाद है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत यह है कि धारा 354 (3) Cr.P.C के तहत व्यक्ति के जीवन को छीनने को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। (19) जैसा कि देखा गया है, अपीलकर्ता यहाँ स्पष्ट रूप से समाज के हाशिए के हिस्से से संबंधित था और श्रम कार्य कर रहा था और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी और वह उन बच्चों में से एक को नहीं ला सका जिसे उसके भाई को गोद में दिया गया है, यह भी दिखा सकता है कि यह पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण बच्चे का पालन-पोषण करने में सक्षम नहीं होने के उद्देश्य से हो सकता है, जो केवल उस दृष्टिकोण को प्रमाणित करता है जिसे हम दूसरी आकस्मिकता के साथ सजा को प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं।

(20) लोचन श्रीवास बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में 5 अन्य

तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आई. पी. सी. की धारा 363,366,376 (2) (आई), 377,201 और 302 के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 376 ए और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया। उक्त मामले में, पीड़ित तीन साल का था और अपीलकर्ता पड़ोसी था जो उसी इमारत का निवासी था। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी आधारित था और तदनुसार मृत्युदंड के मुद्दे से निपटने के दौरान दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था। यह देखा गया कि अपीलार्थी 23 वर्ष का एक युवक था और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और यह पहला अपराध था जो किया गया था जो जघन्य है लेकिन वह एक कठोर अपराधी नहीं था और इसलिए, सुधार और पुनर्वास की संभावना और कम सजा के विकल्प को ध्यान में रखा गया था।

(21) मनोहरन बनाम पुलिस निरीक्षक 6 में, जहाँ दो

5 2022 (1) आर. सी. आर. (क्रोरल) 328

6 2019 (7) एस. सी. सी. 716 स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम जस्पाल सिंह @काला

139

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

मामले '।

(22) पप्पु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में 7, अन्य तीन -

रिपोर्टर-प्रणव चमोली 7 2022 (10) एससीसी 321 8 2023 (7) एससीसी 317